निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 67/2023
दायरा दिनांकः–20.10.2023
निर्णय दिनांकः– 31.7.24

उनवान

देवलाल आयु 75 वर्ष पुत्र लाल्या जाति चमार निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चतरा आयु 72 वर्ष पुत्र शंकर जाति चमार निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. भगवती प्रसाद आयु 58 वर्ष पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी आंचोली हाल गुगोर रोड फाटक के पास छबडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 31.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी
2. अजय कुमार श्रीवास्ताव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 105/110 खसरा नम्बर 346 की 1.0370 है0 खसरा नम्बर 347/2 की 1.0117 है0 खसरा नम्बर 433/2 की 1.0117 है0 कुल तीन किता तादादी 3.0604 है0 भूमि ग्राम गुगोर तहसील छबडा में स्थित है जिस पर प्रार्थी ही निरन्तर निबोध रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 58/62 खसरा नम्बर 347/3 की 1.1382 है0 भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 का 7/9 हिस्सा एवं अप्रार्थी क्रम 2 का 2/9 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि का हिस्सा 2/9 कम पडी भूमि को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 347/2 में बताकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है। जब कि अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 चतरा के कब्जे काश्त [illegible] कि अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थी क्रम 1 से पैमाईश कराकर कब्ता नही लेना चाहता है [illegible] 2 प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 347/2 में घुसकर अतिक्रमण करने पर आमादा है। जब कि प्रार्थी ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि की पैमाईश कराने की कहा तो अप्रार्थी ने पैमाईश करवाने [illegible] कर दिया तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 347/2 से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 14.10.2023 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण जबरन लठ् व ताकत व सरपंच होने का दबाव बताकर प्रार्थी की भूमि मे कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अप्रार्थी नम्बर 3 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ जवाब पेश करना नही चाहते है जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 108 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 58 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरन अभिभाषक प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी की भूमि के पास अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी की भूमि 347/2 पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 चतरा के कब्जे काश्त में है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 भूमि की पैमाईश करवाना नही चाहते है प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 चतरा से भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी। अप्रार्थी क्रम 2 ने भूमि क्रय करने के बाद कब्जा प्राप्त किया क्रय करने के बाद से भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु नक्शा तरमीम करतें समय प्रार्थी के खसरा नम्बर 347/2 के स्थान पर अप्रार्थी क्रम 2 का खसरा नम्बर 347/3 दर्ज कर दिया। अप्रार्थी का कब्जा आज भी खसरा नम्बर 347/2 पर है अप्रार्थी द्वारा भी नक्शा दुरूस्ती कर दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है प्रार्थी अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है नक्शा गलत होने का फायदा उठा कर भूमि को अन्यन्त्र बेचान करना चाहतें है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 105 में देवलाल पुत्र लाल्या चमार का नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त जमाबन्दी खसरा नम्बर 346, 347/2, 433/2 प्रार्थी देवलाल के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत 2075–78 खाता संख्या 58 में खसरा नम्बर 347/3 रकबा 1.1382 है0 चतरा पुत्र शंकर हिस्सा 7/9 [illegible]वती प्रसाद पुत्र रामलाल हिस्सा 2/9 के खातेदारी में दर्ज है प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से सह साबित होता है कि खसरा नम्बर 347/2 प्रार्थी के एवं खसरा नम्बर 347/3 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है विवादित आराजी खसरा नम्बर 347/2 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होने से प्राईमाफेसाई केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 347/2 रकबा 1.0117 है0 भूमि पर जबरन कब्जा काश्त नही करे। तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested